बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

संकल्प

विषय :– **अपराधियों के प्रत्यर्पण (सरेण्डर) एवं पुनर्वास हेतु नीति निर्धारण।**

वर्तमान सामाजिक परिवेश में अपराध की बढ़ती घटनाओं के धरातल में भी बेरोजगारी, भूख, सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएँ ही हैं, जिसकी उपज ये अपराधकर्मी हैं। अपराध के विस्तार का मुख्य आधार सामाजिक एवं आर्थिक विषमता तथा गरीबी एवं बेरोजगारी बताए जाते हैं।

यदि इन आधारों से उपजे अपराधियों को भी अपराधिक प्रवृति से विमुख कर राष्ट्रीय सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ने के निमित इनके पुनर्वासन एवं कल्याण हेतु योजनाएँ प्रायोजित की जाएँ, तो यह आशा की जा सकती है कि ये भी आत्म समर्पण करने एवं सामाजिक व्यवस्था से जुड़ने को अग्रसर होंगे एवं समाज में शांति व्यवस्था कायम करने में आशातीत सफलता मिल सकती है । क्योंकि, ऐसा पाया जा रहा है कि काफी हद तक बेरोजगारी एवं भूख के कारण भी कम उम्र के नवयुवक सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देने को प्रवृत्त हो रहे हैं।

अतः ऐसे अपराधियों की उत्पत्ति के स्त्रोत को रोकने और दीर्घकालिक रूप से अपराध की ओर गरीबों का झुकाव कम कर अपराधियों को अपराध से विमुख करने और उन्हें सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सरकार ने निर्णय लिया है कि इस निमित्त दुर्दात अपराधियों के प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास की एक योजना कार्यान्वित की जाय, जिसके अन्तर्गत आत्मसमर्पण करने वाले अपराधियों एवं उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अपराधियों के प्रत्यर्पण एवं पुनर्वासन हेतु निम्नांकित नीति निर्धारित की जाती है।

I. प्रत्यर्पण हेतु पात्रता एवं प्रकिया :

(1) यह योजना दुर्दात अपराधकर्मियों, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है तथा वे आग्नेयास्त्रों के साथ आत्मसमर्पण करते हैं।

(3) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक एवं अपराध अनुसंधान विभाग के प्रतिनिधि की एक स्कीनिंग समिति रहेगी, जो प्रत्यर्पण की इच्छा व्यक्त करने वाले अपराधी की पहचान कर उसके प्रत्यर्पण पर निर्णय लेगी। स्कीनिंग समिति आत्मसमर्पण स्वीकार करने के पूर्व आश्वस्त हो लेगी कि आत्मसमर्पण किन्हीं अन्य कारणों से प्रेरित या प्रायोजित नहीं है। प्रत्यार्पित अपराधी से उसके सहयोगियों के नाम, पता, शरणस्थल, शास्त्रागार आदि का पता लगाने के लिए विशेष पूछताछ बल द्वारा पूछताछ की जायेगी। फर्जी प्रत्यर्पण द्वारा अपराधियों की घुसपैठ एवं योजना का अनुचित लाभ प्राप्त किये जाने के प्रयासों को विफल किया जायेगा।

(4) प्रत्यर्पण करनेवाले अपराधी पूर्व सूचना के उपरान्त जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकते हैं।

(5) प्रत्यर्पण करनेवाले अपराधी की स्थिति के अनुसार, यदि उसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चल रहा है, तो उसे पुलिस के समक्ष और यदि कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चल रहा हो, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुनर्वास शिविर/केन्द्र में भेजा जायेगा।

(6) पुराने अपराधकर्मी जो अब निष्क्रिय हो गये हैं, भी इस नीति का लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसका लाभ वर्तमान में सक्रिय अपराधियों को ही दिया जायेगा, जिनमें सुधार की पूरी संभावना हो।

II. पुनर्वास योजना एवं अन्य लाभ :

(7) प्रत्यर्पण करने वाले अपराधी को तात्कालिक सहायता के रूप में रू 10,000/– (दस हजार रूपये) मात्र दिये जायेंगे तथा पुनर्वास योजना की स्वीकृति होने तक प्रतिमाह रू0 3,000/– (तीन हजार रूपये) मात्र की सहायता दी जायेगी।

(8) प्रत्यर्पण के क्रम में तात्कालिक आर्थिक सहायता, पुनर्वास योजना के स्वीकृत एवं कार्यान्वित होने तक मासिक आर्थिक सहायता, पुनर्वास योजना की राशि अपराधी की गिरफ्तारी हेतु सरकार द्वारा घोषित पुरस्कार–राशि अपराधी एवं उ द्वारा नामित आश्रित, यदि कोई हो, के संयुक्त नाम से निकट के राष्ट्रीय बैंक/बिहार राज्य सहकारिता बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा की जायेगी। प्रत्य अपराधी या उसके किसी एक नामित व्यक्ति द्वारा स्वतः एक मुश्त या किश्तों में

मासिक व्यय के प्रयोजनार्थ प्रतिमाह 3,000/– रूपये से अधिक राशि की निकासी नहीं जा सकेगी।

(9) प्रत्यर्पित अपराधी के पुनर्वास की परियोजना के सूत्रण, स्वीकृति, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्वास समिति होगी, जिसमें जिला आरक्षी अधीक्षक तथा उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे। यह समिति किसी अन्य पदाधिकारी को समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत अथवा विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।

(10) पुनर्वास समिति द्वारा जो पुनर्वास परियोजना तैयार की जायेगी, उसकी अधिकतम राशि रू0 2,00,000.00 (दो लाख रूपये) होगी। प्रत्यर्पण करनेवाले अपराधी की गिरफ्तारी हेतु यदि राज्य सरकार द्वारा कोई पुरस्कार राशि घोषित हो, तो वह पुरस्कार राशि भी उक्त अपराधी को पुनर्वास राशि के अतिरिक्त दी जायेगी। पुनर्वास परियोजना की राशि का 25 प्रतिशत अनुदान तथा 75 प्रतिशत ऋण स्वरूप होगा ।

(11) पुनर्वास परियोजना की वित्तीय राशि एवं स्वरूप निम्नांकित आधारों पर तय किया जायेगा :–

(क) अपराधी की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि।

(ख) उम्र।

(ग) अपराधी का अपराधिक Record.

(घ) प्रत्यर्पित अपराधी की शैक्षणिक योग्यता ।

(ड़) पुनर्वास के संबंध में प्रत्यर्पित अपराधी द्वारा दी गई स्वेच्छा/ विकल्प।

(च) पुनर्वास परियोजना के कार्यान्वयन से अपराधी को कम–से–कम 3000/– (तीन हजार रूपये) प्रतिमाह की आय होनी चाहिए ।

(12) उपर्युक्त आधार पर तैयार की जाने वाली पुनर्वास परियोजना में निम्नलिखित लाभ प्रत्यर्पण करने वाले अपराधी को दिये जायेंगे :–

(क) स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा तय की गयी अधिकतम राशि के समतुल्य राशि,

और / या

कृषि योग्य भूमि, सिंचाई के साधन तथा कार्यशील पूँजी या उनका उपर्युक्त मिश्रण।

(ख) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की योजना के अंतर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ जमीन, यदि उसके या उसकी पत्नी के नाम अपनी आवासीय भूमि नहीं हो।

(ग) प्रत्यर्पित अपराधी के पास स्वयं या पत्नी के नाम अपना पक्का आवास नहीं होने पर इंन्दिरा आवास की पात्रता रखने वाले अपराधी को इंदिरा आवास की सुविधा, अन्यथा, पात्रता नहीं होने की स्थिति में, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुमान्य राशि के समान अनुदान राशि सम्मिलित करते हुए बैंकों एवं हुडको जैसी संस्थाओं के सहयोग से ऋण स्वीकृत करा कर आवास उपलब्ध कराया जाएगा ।

(घ) प्रत्यर्पित अपराधी के परिवार के अधिकतम दो बच्चों को सरकारी विधालय में मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा सुविधा।

तीन हजार रूपये प्रतिमाह की आय दिलाने से संबंधित पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियाँ राज्य सरकार के नाम बंधक रखी जायेंगी। यदि पुनर्वास योजना हेतु परिसम्पत्ति के सृजन के लिए बैंक से ऋण लिया जाता है, तो ऋण अनुसार या नियमों की आवश्यकतानुसार परिसम्पत्ति संबंधित बैंक के नाम बंधक रखने पर जिला पुनर्वास समिति सहमति दे सकेगी। यदि कोई प्रत्यर्पित अपराधी फिर से अपराध को अपनाए, तो ऐसे अपराधी के लिए तीन हजार रूपये प्रतिमाह की आय दिलाने से संबंधित पुनर्वास परियोजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियाँ सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेंगी।

III. <u>अन्यान्य :</u>

(13) पत्नी और पति दोनों के अपराधी होने की स्थिति में उन्हें एक इकाई माना जायेगा तथा उनमें से किसी एक व्यक्ति को एक ही बार ऋण/वित्तीय सहायता एवं अन्य अनुमान्य सुविधायें दी जायेंगी। परन्तु, उनकी गिरफ्तारी हेतु यदि अलग–अलग पुरस्कार–राशि घोषित हो, तो उन्हें पृथक–पृथक उक्त परुस्कार राशि देय होगी। उनके द्वारा अलग–अलग प्रत्यर्पित प्रत्येक हथियार के लिए विशेष अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में अलग अलग पात्रता होगी।

(14) अपराधियों द्वारा प्रत्यर्पित हथियारों/ विस्फोटकों के लिए उन्हें निम्नांकित प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

कमांक	हथियार/ विस्फोटक का प्रकार	प्रत्येक अदद के लिए पुरस्कार राशि
1.	राकेट लांचर/ यू0एम0जी0 स्काईपैक राइफल	रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये)

2.	ए0के0–47 / 56 / 74 राईफल	रू0 15,000.00 (पन्द्रह हजार रूपये)
3.	303 राईफल / पिस्टल / रिवाल्वर	रू0 3,000.00 (तीन हजार रूपये)
4.	रिमोट कन्ट्रोल डिवाईस	रू0 3,000.00 (तीन हजार रूपये)
5.	रॉकेट	रू0 1,000.00 (एक हजार रूपये)
6.	ग्रेनेड / हैन्ड ग्रेनेड	रू0 500.00 (पाँच सौ रूपये)
7.	वायरलेस सेट (रेन्ज के आधार पर)	रू0 1000 से 5000 तक
8.	आई0ई0डी0	रू0 3000.00 (तीन हजार रूपये)
9.	विस्फोटकसामग्री (प्रतिकिलोग्राम)	रू0 1000.00 (एक हजार रूपये)
10.	एम्यूनिशन (प्रति सामान)	रू0 3.00 (तीन रूपये)

(15) प्रत्यर्पित अपराधी के विरुद्ध दायर फौजदारी मुकदमा में बचाव के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क वकील की व्यवस्था की जायेगी।

(16) प्रत्यर्पित अपराधियों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन कराया जायेगा, तथा आवश्यकतानुसार इसके लिए विशेष न्यायालयों का गठन कराया जायेगा।

(17) जो अपराधी प्रत्यर्पण करेंगे, उनके परिवार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यथा आवश्यक, उन्हें वर्तमान स्थान से हटाकर उनके मनोवांछित स्थान पर उन्हें पुनर्वासित करने का प्रयास किया जायेगा।

IV. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

(18) इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर प्रत्येक माह जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित पुनर्वास समिति द्वारा की जायेगी। प्रमंडल स्तर पर यह समीक्षा प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें क्षेत्रीय आरक्षी उप–महानिरीक्षक सदस्य होंगे, द्वारा प्रत्येक तीन माह पर न्यूनतम एक बार अवश्य की जायेगी। जिला एवं प्रमंडल स्तर की समीक्षात्मक टिप्पणियाँ राज्य सरकार को भेजी जायेंगी। राज्य स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा छः महीने के अधिकतम अंतराल पर की जायेगी, जिसमें विकास आयुक्त, वित्त आयुक्त, गृह आयुक्त, विधि सचिव एवं महानिदेशक–सह–आरक्षी महानिरीक्षक सदस्य होंगे। उपर्युक्त समीक्षाओं के आलोक में इस योजना के अवयवों में आवश्यक संशोधन / परिमार्जन किये जा सकेंगे।

(19) आत्म समर्पण एवं पुनर्वास की नीति अपराधियों पर आम रूप से लागू नहीं होगी जैसा कि उग्रवादियों के संबंध में लागू होती है। महानिदेशक–सह–आरक्षी महानिरीक्षक से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आलोक में तदनुसार कार्रवाई की जायेगी।

(V) प्रभाव

(20) यह योजना तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी विभागीय सचिवों/सभी विभागाध्यक्षों/ महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक/सभी प्रक्षेत्रीय अपर आरक्षी महानिदेशकों/आरक्षी महानिरीक्षकों/ सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप महानिरीक्षकों/सभी जिला पदाधिकारियों/सभी आरक्षी अधीक्षकों /सभी समादेष्टा, सैन्य पुलिस बल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(एच. सी. सिरोही)
गृह सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– बी0/विविध–14/2006 पटना दिनांक– मार्च, 2006

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

अनुरोध है कि इस संकल्प की 1000 मुद्रित प्रतियाँ गृह (विशेष) विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

ह0/–
(एच. सी. सिरोही)
गृह सचिव, बिहार।

ज्ञापांक– बी0/विविध–14/2006 2192 पटना दिनांक 07 मार्च, 2006

प्रतिलिपि:– सभी विभागीय सचिव/ सभी विभागाध्यक्षों/ महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक/ सभी प्रक्षेत्रीय अपर आरक्षी महानिदेशक/ आरक्षी महानिरीक्षक/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी क्षेत्रीय उप–महानिरीक्षकों/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी समादेष्टा, सैन्य पुलिस बल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजन कुमार गुप्ता)
सरकार के अवर सचिव।